न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 3417 / 2004 / भरतपुर

रामकिशन दत्तक पुत्र किरोडी (पुत्र किरन्ता) जाति धाकड, निवासी लहचोरा कलां तहसील बयाना, जिला भरतपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1 मु0 रामदेई बेवा रामसिंह (मृतक)जाति धाकड, निवासी लहचोरा कलां, तहसील बयाना, जिला भरतपुर जरिए कायममुकामः–

1 / 1 अर्चनाकुमारी पुत्री रमेशचन्द निवासी ग्राम हरनगर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

2 वेदप्रकाश पुत्र भगवानसिंह जाति धाकड, निवासी लहचोरा कलां, तहसील बयाना जिला भरतपुर ।

रेस्पोडेंटस

खण्ड पीठ

श्री रामनिवास जाट, सदस्य

डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–

श्री राकेश अरोडा, अभिभाषक अपीलांट

श्री राजेश गौतम, अभिभाषक रेस्पोडेंटस

निर्णय

दिनांक 22.9.2020

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–7–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट मृतक रामदेई पत्नि रामसिंह द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के विरूद्ध सहायक कलेक्टर, बयाना के समक्ष पेश कर कथन किया कि मौजा वाके ग्राम लहचोरा कलां तहसील बयाना में स्थित विवादित आराजी कुल किता 28 रकबा 26 बीघा 1 बिस्वा मृतक केलीराम व किरोड़ी की बहिस्सा बराबर की खातेदारी की कृषि भूमि है । समस्त आराजी पर केलीराम व किरोडी का कब्जा काश्त रहा है । केलीराम व किरोडी के मरने के पश्चात अपीलाण्ट

व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का बराबर हिस्सा है । संवत 2012 से पूर्व से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के ससुर केलीराम के जमाने से कब्जा कायम है । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा जमाबन्दी संवत 2044 लगायत 2047 की प्रतिलिपि प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि अपीलाण्ट द्वारा गलत तरीके से इन्द्राज अपने नाम करवा लिए । उसके पश्चात विवादित आराजी में से एक आराजी खसरा नंबर 296 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा मौजा लहचोराकला तहसील बयाना दिनांक 19–4–96 को रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को 80000/– रूपये में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दिया जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था । उक्त गलत इन्द्राज एवं विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को धमकी दिए जाने पर रेस्पोडेण्ट द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया । वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर रेस्पोडेण्ट सख्या 1 को खातेदार घोषित करे तथा विक्रय पत्र दिनांक 19–4–96 के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करे । अपीलाण्ट द्वारा उक्त दावे का जबावदावा प्रस्तुत कर वाद के कथनों से इंकार करते हुए दावा खारिज करने का निवेदन किया । सहायक कलेक्टर, बयाना ने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय दिनांक से 30–3–2000 से दावा खारिज कर दिया उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलाण्ट द्वारा एक अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 23–11–2001 से प्रकरण रिमाण्ड कर दिया । उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में सहायक कलेक्टर ने पुनः निर्णय 9–5–2002 से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 रामदेई को खातेदार काश्तकार घोषित कर अपीलाण्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया । उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा पुनः अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 21–7–2004 से अपील को खारिज कर दिया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका कथन है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय को बहाल रखने में त्रुटि की है । परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली राजस्व अपील प्राधिकारी से रिमाण्ड होने पर अपीलाण्ट को कोई नोटिस नहीं दिया तथा तामील कुनिन्दा से साज कर न्यायालय के आदेश के बिना ही सम्मन चश्पानगी की रिपोर्ट कर दी जो विधि विरूद्ध है, क्योंकि बिना न्यायालय के आदेश के नोटिस चस्पा करने का कोई अधिकार तामील कुनिन्दा को नहीं था व इस गैर कानूनी

रिपोर्ट के आधार अपीलाण्ट का सम्मन तामील होना मानते हुए परीक्षण न्यायालय ने एकतरफा में वादिया के बयान लेकर वादिया का वाद डिक्री कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने तनकीयात कायम करने के पश्चात तनकीवार निर्णय पारित न करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी नोटिस तामील की जांच नहीं की और बिना जांच किए ही अपीलाण्ट की अपील को निरस्त कर दिया । उनका कथन है कि विवादित भूमि का बंटवारा हो चुका था । केली का इस भूमि में कोई हिस्सा व हक नहीं है, किन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा दावा डिक्री करने में भूल की है । अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–7–2004 एवं 9–5–2002 निरस्त किये जावें ।

4– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है । उनका कथन है कि रेस्पोडेण्ट / वादिनी का संवत 2012 से पूर्व से लेकर उसके ससुर केलीराम के जमाने से लेकर बदस्तूर अब तक कब्जा काश्त चला आ रहा है, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा उक्त आराजी में से खसरा नंबर 296 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा का जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र राशि 80000 / – में विक्रय पत्र उपपंजीयक बयाना के यहां पंजीबद्ध करवा दिया उस विक्रय पत्र के आधार पर कागजात पटवार में अपने नाम नामान्तरकरण तस्दीक करवाने व रेस्पोडेण्ट / वादिनी को बेदखल करने पर आमादा थे, इसलिए रेस्पोडेण्ट का प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति तीनों तत्व रेस्पोडेण्ट के पक्ष में थे किन्तु परीक्षण न्यायालय ने दावा खारिज कर दिया जिसके विरूद्व अपील प्रस्तुत करने पर अपील को रिमाण्ड किया गया । जिसके क्रम में पुनः विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट के उपस्थित नहीं होने पर वादी की बहस सुनकर दावा डिक्री कर दिया जिसके विरूद्व अपील प्रस्तुत करने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21–7–2004 से अपील को खारिज कर दिया । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होने से इसमें द्वितीय अपील के स्तर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का गहनता से अध्ययन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट मृतक रामदेई पत्नि रामसिंह द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम , 1955 का विरूद्व अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के विरूद्व कलेक्टर, बयाना के समक्ष पेश

कर कथन किया कि मौजा वाके ग्राम लहचोरा कलां तहसील बयाना में स्थित विवादित आराजी कुल किता 28 रकबा 26 बीघा 1 बिस्वा मृतक केलीराम व किरोडी की बहिस्सा बराबर की खातेदारी की कृषि भूमि है । समस्त आराजी पर केलीराम व व किरोडी का कब्जा काश्त रहा है । केलीराम व किरोडी के मरने के पश्चात अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का बराबर हिस्सा है । संवत 2012 से पूर्व से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के ससुर केलीराम के जमाने से कायम कब्जा है । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा जमाबन्दी संवत 2044 लगायत 2047 की प्रतिलिपि प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि अपीलाण्ट द्वारा गलत तरीके से इन्द्राज अपने नाम करवा लिए उसके पश्चात विवादित आराजी में से एक आराजी खसरा नंबर 296 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा मौजा लहचोराकला तहसील बयाना दिनांक 19–4–96 को रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को 80000/– रूप्ये में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दिया जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था । उक्त गलत इन्द्राज एवं विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को धमकी दिए जाने पर रेस्पोडेण्ट द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया । वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत कर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर रेस्पोडेण्ट सख्या 1 को खातेदार घोषित कर विक्रय पत्र दिनांक 19–4–96 के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करे । अपीलाण्ट द्वारा उक्त दावे का जबावदावा प्रस्तुत कर वाद के कथनों से इंकार करते हुए दावा खारिज करने का निवेदन किया। सहायक कलेक्टर, बयाना ने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय दिनांक से 30–3–2000 से दावा खारिज कर दिया उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलाण्ट द्वारा एक अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 23–11–2001 से प्रकरण रिमाण्ड कर दिया । उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में सहायक कलेक्टर ने पुनः निर्णय 9–5–2002 से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 रामदेई को खातेदार काश्तकार घोषित कर अपीलाण्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया । उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलाण्ट द्वारा एक अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 21–7–2004 से अपील को खारिज कर दिया

राजस्व रिकार्ड खेवट खतौनी रियासत भरतपुर संवत 1999 में विवादित आराजीयात पर केली वल्द धन्ना व किरोडी वल्द परमोली बहिस्सा बराबर कौम धाकर दर्ज है । जमाबन्दी संवत 2020–2021 में केली वल्द धन्ना कौम धाकर व जमाबन्दी संवत 2022 से 2024 में केली वल्द धन्ना कौम धाकर दर्ज है । इसके पश्चात बिना किसी आधार के जमाबन्दी संवत 2044–45 में अकेले रामकिशन वल्द किरन्ता कौम धाकर दर्ज है जिसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा फर्जी कूटरचना द्वारा अपना नाम दर्ज करा लिया एवं उसके आधार पर आराजी खसरा नंबर 296 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा मौजा लहचोराकला तहसील बयाना दिनांक 19–4–96 को रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को 80000/– रूपये में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दिया, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। एक रेकार्डेड खातेदार का नाम बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के हटाना विधिविरूद्ध था । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय दिनांक 8–4–2002 को लिखा है कि प्रति0 नंबर 1 को खुले मकान पर चश्पानगी से व प्रतिवादी नंबर 2 की पत्नी को प्रदान करने पर तामील होना विधिवत है । किन्तु बावजूद सूचना प्रति0 उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए व वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 23–4–2002 नियत की गई । उसके पश्चात गवाहों के बयान कराये गए । इसके पश्चात परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 9–5–2002 से अपीलार्थी द्वारा किए गए बेचान को अवैध व शून्य मानकर रामदेई विधवा रामसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया है व रामकिशन प्रति0 नंबर 1 के नाम हो रहे इन्द्राज खातेदारी को कलमजन किया जाकर सालिम के स्थान पर निस्फ की खातेदारी रखी जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में अंकित किया है कि विवादित आराजी केली व किरोड़ी की थी । किरोडी का दत्तक पुत्र रामकिशन है और केली की विधवा रामदेई है । राजस्व रिकार्ड में रामकिशन के नाम समस्त आराजी का अंकन कानून के विरूद्ध किया गया है । रामकिशन निष्फ हिस्से का ही खातेदार हो सकता है । उन्होंने अपने निर्णय में तनकीवार निर्णय के संबंध में स्पष्ट अंकित किया है कि चूंकि परीक्षण न्यायालय में एकतरफा कार्यवाही हुई है, इसलिए तनकियात कायम नहीं हुई । ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हुए अपील खारिज कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित निर्णय है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है ।

7– फलस्परूप उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह अपील खारिज की जाती है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0श्रवण कुमार बुनकर)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य